**परिपत्र सं॰. 4/2018-सीमाशुल्क**

फ़ा. सं॰. 609/12/2018-डी बी के

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड

नयी दिल्ली, दिनांक 24 जनवरी, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक
मुख्य आयुक्त/ महानिदेशक
प्रधान आयुक्त एवं आयुक्त,
सभी जो सी. बी. ई. सी. के अंतर्गत आते हों

महोदया/महोदय,

**विषय: प्रति अदायगी की अखिल औद्योगिक दरों में दिनांक 25.01.2018 से लागू होने वाले संशोधन:**

सरकार ने अधिसूचना सं॰ 89/2017-सीमाशुल्क (गै॰टे॰), दिनांक 21.09.2017, जोकि 01.10.2017 से प्रभावी हुई थी, के तहत लागू की गयी प्रति अदायगी की संशोधित अखिल औद्योगिक दरों के बारे में प्राप्त कई अभ्यावेदनों और आंकड़ों पर विचार किया है। तदनुसार, सरकार ने अधिसूचना सं॰ 08/2018-सीमाशुल्क(गै॰टे॰), दिनांक 22.01.2018 को जारी करके इसमें कुछ संशोधन किया है। ये संशोधन 25.01.2018 से लागू होंगे। इस अधिसूचना को **www.cbec.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है और उसका अनुपालन किया जा सकता है।

2. किये गये परिवर्तनों में, अन्य बातों के अलावा, निम्नलिखित बातें शामिल हैं –

(क) निम्नलिखित मदों पर प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों/सीमा में वृद्धि की गयी है:

(i) अध्याय 3 और 6 के अंतर्गत आने वाले कतिपय समुद्री उत्पाद;

(ii) अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले रबर की कतिपय वस्तुयेँ, जैसे कि आटोमोबाइल टायर और साइकिल टायर/टयूब;

(iii) अध्याय 39, 41, 42, और 64 के अंतर्गत आने वाला चमड़ा और उससे बनी कतिपय वस्तुएं;

(iv) अध्याय 51, 55, 56, 58 और 60 के अंतर्गत आने वाले ऊन का सूत/फैब्रिक;

(v) अध्याय 70 के अंतर्गत आने वाले कांच के हस्तशिल्प;

(vi) अध्याय 87 के अंतर्गत आने वाले साइकिल; और

(vii) टैरिफ मदों 560802 तथा 950611 के तहत आने वाले अन्य मानव निर्मित वस्त्र सामग्री से निर्मित मछली पकड़ने के जाल तथा स्पोर्ट्स जाल।

(ख) टैरिफ मदों 290701 और 291201 के अंतर्गत आने वाले रसायनों पर प्रतिअदायगी शुल्क की अखिल औद्योगिक दर/सीमा को कम कर दिया गया है।

(ग) टैरिफ मद 391802 अर्थात पोलीप्रोपीलीन मैट और उससे संबन्धित प्रविष्टि को प्रति अदायगी की सूची से हटा दिया गया है। पोलीप्रोपीलीन मैट का टेरीफ़ मद 460101 के अंतर्गत वर्गिकरण जारी रहेगा जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 के सामन्जस्य में है और इसकी दर/सीमा यथावत रहेगी।

3. व्यापार/क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए उपर्युक्त सार्वजनिक सूचनाएं/स्थायी आदेश जारी किए जाए। इस संशोधन को लागू करने में यदि कोई परेशानी आये तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जाये।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
ओएसडी (प्रतिअदायगी)

**<u>अधिसूचना सं. 8/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 22.01.2018 से संबंधित स्पष्टीकरण ज्ञापन</u>**

अधिसूचना सं. 8/2018-सीमाशुल्क (गै.टे.) दिनांक 22.01.2018 को जारी किए जाने का उद्‌देश्य अधिसूचना सं. 89/2017-सीमाशुल्क दिनांक 21.09.2017 के तहत प्रतिअदायगी की पहले अधिसूचित अखिल औद्‌योगिक दरों की अनुसूची के कतिपय टैरिफ मदों पर शुल्क प्रतिअदायगी की दर और कैप्स में संशोधन किया गया है और इसमें से एक टैरिफ मद को हटा दिया गया है। ये संशोधन 25.01.2018 से लागू होंगे।

---------